

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, सचास्थ भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/रोडप./2019-20 / ५६५

ई-मेल :rmsc@nic.in

Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

दिनांक: 24/06/19

कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु ई-निविदा सूचना वर्ष 2019-20

निगम द्वारा आगामी एक वर्ष (12 माह) के लिए कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिक्रिया एवं अनुभवी मुद्रणालयों से ई-निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं—

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (रु.लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security)	ई-निविदा शुल्क (₹)	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ की तिथि	प्रि-बिड भीटिंग की तिथि व समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय
1.	कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य HSN Code - 4809	425.00	8.50	2000.00	25.06.2019	02.07.2019 3:30 PM	25.07.2019 12.00 बजे तक	25.07.2019 03.00 PM तक	25.07.2019 04.00 PM

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट "<http://www.dipronline.org>" एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाइट "www.dipronline.org" एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00 (₹ 1000.00 एसएसआई यूनिट राजस्थान के लिए), RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व ईमडी राशि के अलग-अलग डी.डी. /बी.सी. दिनांक 25.07.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक नियम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन यूथक-पृथक नियांसित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-च) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

दिशोषधिकारी, आरएमएससी

ई–निविदा

कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण फार्म हेतु ई–निविदा सूचना वित्तीय कर्ष 2019–20

निविदा क्रमांक :	एफ.90 / आरएमएससी / भण्डार / रो.उ.प. / 2019–20 / दिनांक:
प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थान :	02.07.2019 समय अपराह्न 3.30 बजे स्थान कमरा संख्या–205 डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.)
ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	25.07.2019 समय अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क:	₹ 2000.00
राजस्थान की एसएसआई इकाइयों के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क:	₹ 1000.00
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	₹ 1000.00 (आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय)

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, आरआई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं ईएमडी के डी.डी. /बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से आरएमएससी, डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–रकीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक 25.07.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे अथवा तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र–शा) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्थान्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

CIN: U2423RJ2011SGC035067

ई-मेल :rmsc@nic.in

Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : एफ ९()/आरएमएससी/भण्डार/रोडप./2019-20/

दिनांक:

**प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाईन ई-निविदा जमा करने
की अन्तिम तिथि – 25.07.2019**

**समय 3.00 बजे तक
ई-निविदा प्रपत्र शुल्क-₹ 2000.00¹
बोली प्रतिशुल्क (bid security)– ₹ 8.50 लाख**

**कार्य की अनुमानित लागत – ₹ 425.00 लाख
बोली प्रतिशुल्क (bid security)– ₹ 8.50 लाख**

कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र(कार्बन रहित पेपर) भुदण कार्य की दर संविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र (कार्बन रहित पेपर) मुद्रण कार्य के लिए ई-निविदा :-

कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र मुद्रण-कार्बन लेस पेपर प्रथम प्रति सफेद CB 52 GSM एवं द्वितीय प्रति पीली CF 53 GSM दिय लोक, आकार - 8.00" X 5.50" अनुमानित संख्या - 08 (छात) कार्ब
(50+50 कार्बनलेस रोगी उपचार पत्रों के सेट सरस पेड़ पर तेयार करने होंगे Bottom 296 GSM Hard Card Sheet with one extra hard card sheet to insert inside the saras pad,
Top 80 GSM Brown paper and minimum carbon coating should be 7 GSM.)

S.N	Description of Saras Pad	Specification
1	Size	8.00"X5.50" (20.32 CM X 13.97 Cm)
2	Cover Page Brown GSM	80 GSM
3	Cover white Page (Hard Card Sheet)	296 GSM
4	1 st Copy white GSM	52 GSM
5	Carbonage (CB) 2 nd CopyYellow GSM	53 GSM
6	Carbonage (CF) Carbon Coating	CB+CF=7 GSM

2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लोण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
4. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ ९ () /आरएमएससी/भण्डार/रोडप./2019-20 /
दिनांक
5. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 का डिमाण्ड फ्रापट /बैंकर चैक संख्या.....
दिनांक..... RMSCL के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय मे भौतिक रूप से
(Physically) प्रस्तुत कर दिया है अथवा यूथक निधारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श')
द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब
नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा
करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न
03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।

7. आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या
दिनांक प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निधारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए एकेन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।
8. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या..... दिनांक..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना को अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' BOQ में मुद्रण कार्य संबंधी दरों सभी आनुषंगिक प्रभारों सहित अंकित की जानी है एवं GST को दर्ते पृथक से दर्शाइ जानी है।
10. कार्बनलैस रोपी उपचार पत्र मुद्रित सामग्री की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम पूर्फ अनुमोदन / कार्यादेश दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कभी या वृद्धि की जा सकती है।
11. कार्बनलैस रोपी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' BOQ में दी गई दरों अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष (12 माह) के लिए है जिसे आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा सामग्री विभिन्न वरणों में निगम की आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाएगी।
12. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या दिनांक राशि भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निधारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए एकेन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।
13. ई-निविदा प्रपत्र के साथ GST पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. विनिमयता / डीलर आदि होने का घोषणा पत्र संलग्न है।
15. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है।
16. Price fall clause प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी विभाग, निगम, बोर्ड या राजकीय उपक्रम द्वारा ब्लॉक लिस्ट/ डिबार नहीं किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है।
18. पूर्व में न्यूनतम 50.00 लाख कार्बनलैस रोपी उपचार पत्र (61.00 लाख सरस पट) आपूर्ति करने के संबंध में क्रयादेश / कार्यादेश एवं जारी किये गये बिलों की प्रतियों संलग्न है।



कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्तें

- ई-निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्तें इस ई-निविदा का भाग मानी जाएगी।
- केवल ई-निविदा फार्म के साथ सलान प्रपत्र 'ब' (BOQ) में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रोफार्म के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्म में दी गई दरें मात्र नहीं होंगी। प्रपत्र 'ब' (BOQ) में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्म में अंकित कर दी गई है। इसमें कोई काट छाट (Over writing) नहीं है।
- निगम द्वारा सर्वप्रथम ऑनलाइन तकनीकी बिड खोली जाएगी जिसमें निर्माकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

- ई-निविदा प्रपत्र शुल्क का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत रियर किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है।
बोली प्रतिभूति (bid security) एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क का बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या— 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है। (राजस्थान की नवु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति (bid security) में नियमानुसार छूट देय होगी अर्थात् प्रदत्त मात्रा का 0.5% अधर्थत् राशि ₹ 2,12,500.00 जमा करानी होगी।)
- GST पंजीकरण पत्र एवं आयकर पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।
मशीनरी से संबंधित विवरण (प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्षय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।)
- फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यों के पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 या 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) का औसत टर्न ओवर राशि ₹ 400.00 लाख (SSI MSME Units के लिए 200.00 लाख) या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु ई-निविदा दाता फर्म द्वारा संबंधित वर्ष के प्रमाणित लेखे यथा लाम-हानि खाता, ऑडिटड बैलेन्स शीट आदि की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएँ।
मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी।
- यदि फर्म लघु उद्योग इकाई है तो प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग इकाई का प्रमाण पत्र। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'ब') में शाम्भ-पत्र भी संलग्न करना है।
फर्म के लेटर पैड पर विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप प्रपत्र 'द' में) ई-निविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस ई-निविदा के लिए विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। निगम अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।
- वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र प्रपत्र 'स' अंकेक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित।
- Price fall clause प्रमाण प्रपत्र 'र'।

- XII. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी विभाग, निगम, बोर्ड या राजकीय उपक्रम द्वारा छोड़ सरकार/केन्द्र सरकार के किसी विभाग, निगम, बोर्ड या राजकीय उपक्रम द्वारा छोड़ लिस्ट/डिवार नहीं किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रपत्र 'य'।
- XIII. पूर्व में न्यूनतम 50.00 लाख कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र (01.00 लाख सरस पैड) आपूर्ति करने का अनुमति। इसके साथ हेतु क्रयार्देश/कार्यादेश एवं बिलों की प्रतियों संलग्न की जानी आवश्यक है।
- XIV. फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय होने का प्रमाण-पत्र मय कार्यालय का पता, दूरभाष एवं सम्पर्क सुन्त प्रतिनिधि का नाम एवं गोबाइल नम्बर।
- XV. स्पष्टशिक्किक्षन के अनुसार नमूने के 05 सरस पैड प्रपत्र 'ल' के अनुसार Art work सहित प्रस्तुत करने होंगे। नमूने का सरस पैड कार्यालय समय में देखा जा सकता है। उकतानुसार तैयार नमूने के सरस पैड दिनांक 25.07.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में भौतिक रूप में (Physically) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- XVI. निविदादाता फर्म के, उनके द्वारा प्रस्तुत नमूने के 05 सरस पैडों में से किन्हीं 01 नमूने की MSME, Testing House से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट में स्पष्टशिक्किक्षन के अनुरूप पाये जाने पर ही सफल निविदादाता फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोली जावेगी।
- उकतानुसार आवश्यक दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (I) से (XVI) के अनुसार हो।
4. GST के अतिरिक्त निगम द्वारा कोई भी कर, चुंगी, Cess एवं अन्य प्रभार आदि देय नहीं होगा।
 5. वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक ई-निविदादाता द्वारा ई-निविदा प्रपत्र के सलग एक्स्ट्रल कोर्सेट में ही प्रस्तुत की जाएगी (BOQ)।
 6. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय विड किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर निगम की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी ई-निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जब्त की जा सकेगी।
 7. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5% और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1.0% ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी ई-निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निवेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'ब') में शाम्प-पत्र भी संलग्न करना है।
 8. राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को वित्त (GF&AR) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसचिवना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार क्रय में अधिग्रनता (Purchase Prefrence) प्रदान की जायेगी।
 9. ई-निविदाएं, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमात्र होगी।
 10. परीक्षणों के समाले में, ई-निविदादाता द्वारा जिला औषधि भांडार गृहों (DDWs) पर आपूर्ति किए गए कार्बनलेस रोगी उपचार पत्रों में से एक या दो सेटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा शेष सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधिस्ति किए जाएंगे।
 11. फर्म को मुद्रित कागज पर कार्बनलेस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से या कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निगम द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाइन तैयार कर उसका अनुमोदन विशेषधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्यपोरेशन, जयपुर से करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। प्रूफ/डमी को निगम द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती हैं तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्च पर मुद्रित कर निगम को उपलब्ध करवाना होगा एवं उकत त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान

लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार परिनिर्धारित क्षमति (LD) की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जाएगी।

12. कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य ई-निविदा एवं कार्यदिश की शर्तों के अनुसार पूर्ण करने पर प्रस्तुत बिलों का भुगतान निगम द्वारा एक माह में किया जाएगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का व्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।

13. कागज, विद्युत, पानी, स्थाई, डीजल, पेट्रोल व अन्य किसी मद की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

14. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यदिश में उल्लेखित विधि से बाल्डलो में पैक कर निगम के राजस्थान के समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला/मैडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहो (DDWs & MCDWs) में F.O.R. पहुँचानी होगी।

15. बोली प्रतिभूति (Bid Security) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत प्रबंध निवेशक, राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट / बैंक चेक द्वारा दिनांक 25.07.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रबंध निवेशक, राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के कार्यालय में कमरा संख्या 105 में भौतिक रूप से (Physically) जमा करवाया जाना आवश्यक है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-“श”) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 25.07.2019 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है। (राजस्थान की लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति (bid security) में नियमानुसार छूट देय होगी अर्थात् प्रदत्त मात्रा का 0.5% अर्थात् राशि ₹ 2,12,500.00 जमा करनी होगी।) निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत की गई बोली प्रतिभूति (Bid Security) स्वीकार नहीं की जाएगी एवं इस स्थिति में निविदा Consider नहीं की जाएगी।

16. फर्म को आदेशित सामग्री का मुद्रण आदेशित कागज पर विभिन्न निर्धारित जी.एस.एम. एवं साईंज में ही निर्धारित स्फेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा। इससे जी.एस.एम. एवं साईंज में कमी पर नियमानुसार अनुपातिक राशि बिल में से काटी जाएगी। आपूर्ति के मापदण्डों में सार्वतू परिवर्तन किये जाने पर निगम को आपूर्ति अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी संपादित की जा सकेगी।

17. ई-निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, निगम में स्वीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

18. बिना ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security) एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क किसी के भी अभाव में ई-निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं ई-निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

19. सफल ई-निविदादाता को वार्षिक अनुबंध राशि की 5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा करनी होगी। राजस्थान की एसएसआई यूनिट को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) वार्षिक अनुबंध राशि का 1% मूल्य देना होगा तथा निगम के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में नियमानुसार राशि के नौन ज्युडिशियल स्टॉम पैपर पर संयं के खर्च पर कारार (Agreement) भी करना होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) डिमांड ड्रेप्ट / बैंकर्स चैक से रूप में जमा कराई जा सकती है तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) की राशि ₹ 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में बैंक गारन्टी स्वीकार्य होगी।

20. ई-निविदा फर्म में किसी प्रकार की कॉट छौट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।

21. बातचीत केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही ई-निविदाकारों से प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। जहाँ सिंग मूल्य उद्दरित किए गए हों या दरें अत्यन्त विचारणीय हों और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊँची समझी जाए। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रतिस्पर्धात्मक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती हैं तो क्रय समिति ई-निविदा को नामजूर करने व पुनः आमत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।

22. किसी भी ई-निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।

23. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार परिसमाप्ति नुकसानी (Liquidated Damage) राशि 2.5% से 10% वसूल की जाएगी (ई-निविदा प्रकाशन की वास्तविक अवधि को इच्छित रखते हुए)। यदि परिसमाप्ति झाते के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :-

1. विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
2. स्वीकार की गई निर्धारित परिसमाप्ति झाति की अधिकतम राशि 10% होगी।
3. यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदानात्मता सलाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में प्रबन्ध निदेशक, आरएएससी, जयपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
4. सफल ई-निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्च पर अन्य व्यावस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जल्द कर ली जाएगी एवं फर्म के विलम्ब नियमानुसार विधिक कार्यवाही जैसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करना इत्यादि संपादित की जा सकेगी।
5. मुद्रण कार्य नियम के निर्देशानुसार अनुमोदित एवं प्रपत्र 'L' के लिजाइन के अनुसार करना होगा।
6. ई-निविदा में अंकित कार्य की मात्रा प्रतीकात्मक है उसमें कमी/वृद्धि भी की जा सकती है।
7. नियम को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किए जाने का अधिकार होगा।
8. सफल ई-निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए ई-निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जल्द कर ली जाएगी।
9. ई-निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में ई-निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशासी संस्था आदि को मुद्रित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके लिए Price fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'R' भी संलग्न करना होगा।
10. ई-निविदा की अन्य शर्तें सामान्य विलीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 "खुली ई-निविदा के लिए ई-निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के अनुसार लागू होंगी।
11. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्टेड फर्म ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपते हुए अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security) / कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
12. वित्तीय बोलियों में अंकागणितीय ब्रिटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारंगत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकागणितीय ब्रिटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उल्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में बढ़िते रह गयी है तो

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यवत की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यैन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

33. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यवित,

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्ध्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्कर्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कहट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लित नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में वाधा नहीं भालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पर्व नियमंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवरण को प्रकट करेगा।

34. हित का विरोध –

(१) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(२) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं :-

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि वित्त का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि वाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हैं।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विविधान और आस्तियां, राजनीतिक या अन्य वाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उपन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यवित की स्थिति पर

- (e) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी दृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कर्तव्याईयों या विनिश्चय से कायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,-

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान दृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूक्तना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद किहीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तेयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसोटी और बोली प्रूफों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

35. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निर्दारण – प्रथम अपील प्राधिकारी शास्त्र विशेष सचिव, एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं हितीय अपील प्राधिकारी शास्त्र अधिकारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मोड़िकल सर्विसेज कॉर्परेशन है।

- 1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्तित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपर्योग के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाधिकारिता दिया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर वह व्यक्तित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिवस की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-श) में अपील दाखिल कर सकेंगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्यात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है। परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्यात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपर्योग और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण

दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निवन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्बव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अधीन के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पच्छह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को मुनो जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपर्यांत और पूर्व-अहृता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रिकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्बव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वावधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेंगी को, पूर्व-अहृता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रिकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रूपी रूपी से दाखिल होंगी और उसके साथ ऐसी फैस होंगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का छास करेंगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेंगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'ष') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई है, अपील में कार्यित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फैस के संदाय के सूचूत के साथ होंगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यावितशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेंगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फैस – (1) प्रथम अपील के लिए फैस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होंगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फैस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय झपट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यक्षर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तरीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, चुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित मैं आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

36. यदि बाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

मैंने / हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं / हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहेगा / रहेंगे।

इ—निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :rmsc@nic.in
Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

(कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रक ई-निविदा फर्म के साथ प्रिंटिंग प्रेस संबंधी निन्दितिवाचन भी संलग्न करें)

1. प्रिंटिंग प्रेस का नाम
व घर का पता
अ.
ब.
2. प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता
.....
3. प्रोपराइटर/साझेदार का नाम
व घर का पता
.....
4. फोन नंबर (कार्यालय)
निवास
मोबाईल नंबर
फैक्स नंबर
5. यदि प्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रेस एवं फैक्ट्री एकत्र के अन्तर्गत किया हुआ है तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
6. यदि प्रेस निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर से लाधु इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उसकी प्रति संलग्न करें।
7. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यों के पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 या 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) का औसत टर्न ओवर राशि ₹ 400.00 (SSU MSME Units के लिए 200.00 लाख) या अधिक होना आवश्यक है।
8. मशीनरी से संबंधित विवरण (प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रेस कोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्रम से संबंधित आवश्यक बिल / दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा ई-निविदा निरस्त कर दी जाएगी)।
अ) कार्यरत आफरेंट प्रेस

क्र.सं.	आफरेंट मशीनों का विवरण मध्य मार्क	साईंज	कलर	सच्चालित या हस्त चालित	इम्प्रेशन प्रति छंटा

- ब) प्रोसेसिंग एवं कम्पोजिंग का विवरण
1. फोटो कैमरा / स्कैनर
 2. प्लेट मेकिंग / ब्लाक मेकिंग
 3. फोटो टार्जेट सेटर / डी.टी.पी.उपकरण

- स) बाइपिंग मशीनरी उपकरण
1. कटिंग मशीन की संख्या :-
 2. फोलिंग मशीन की संख्या :-
 3. स्ट्रिंग मशीन की संख्या :-
 9. प्रेस में कार्यरत श्रमिकों की संख्या :-
 1. कार्यालय :-
 2. प्रोसेसिंग शाखा :-
 3. मुद्रण शाखा :-
 4. बाइपिंग शाखा :-
 10. साप्ताहिक अवकाश :-

इ-निविदादाता के हस्ताक्षर



प्रपत्र-बैंग (BOO)

三

TAXES IN EXPENSES

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मेरसर का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न हैं।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (रुशि ₹ लाखों में)
1	2015–16	
2	2016–17	
3	2017–18	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

या

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (रुशि ₹ लाखों में)
1	2016–17	
2	2017–18	
3	2018–19	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेष्ठक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण
संचया

ई—निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हूँ कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/
उपकरणों के लिए ई—निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/
थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/ विपण एजेंट
हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा
सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से
(forfeited) कर किया जा सकेगा तथा ई—निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार
किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

ई—निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 'य'

ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टिंग/रेटेशनरी सामग्रियों/कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायणी में कोई वाद लभित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

Price fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जिन मुद्रित कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों की राजस्थान राज्य में जहाँ कही भी आपूर्ति की जाएगी, उस आपूर्ति में वर्तमान ई-निविदा की दर संविदा अवधि में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी निषाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशासी संरक्षा आदि को मुद्रित कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों की आपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि कम दरों पर आपूर्ति की जाती है तो दर स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ल'



राजस्थान सरकार
राजकीय चिकित्सालय

रोगी उपचार पत्र

सर्वे सन्तु निरामयः।

पंजीयन क्रमांक.....

दिनांक

पंजीयन शुल्क ₹ ----

रोगी का नाम.....

आयु.....

स्त्री / पुरुष.....

मोबाइल नं०

बी.एस.बी.वाई. नं०

.....

मुख्य समस्या

निदान	R _x	योग
		निदान नं०

.....

.....

.....

प्राप्ति	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
चिकित्सक	रोगी	रोगी

- दवाओं संबंधित समस्या बताने के लिए सम्पर्क करें 0141-2228059
- इस पर्याप्त तरिखी हुई जेनेरिक दवाएँ “ब्रॉडेड दवाओं” की तरह ही समान रूप से प्रभावी होती हैं। जेनेरिक दवाओं के विरुद्ध दुष्प्राचार से बचें।
- “निश्चलक दवा एवं जांच की सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है”।
- कृत्रिम, टंकी, परिडे, फ्रीज टेंट फलदान आदि को प्रति सप्ताह साप्त करें एवं घरों के आस-पास पानी एकत्रित न होने दें।

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of Rs. 10/-)

I.....
S/o Proprietor/Partner/Director of
Aged..... yrs, residing at..... M/s do hereby solemnly affirm and declare
that
(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center The acknowledgment No. is Dated and has been issued for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

- (b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.
- (c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I.....
S/o Aged yrs residing
at Proprietor / Partner / Director of M/s verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

प्रपत्र — ष

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPPA]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place Date

Appellant's Signature